

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

नन्दराम

बनाम

श्री सुभाष

स मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 343/2022-1528

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मे 06/2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती नन्दराम

पिता श्री केला जी खाकड

निवासी जयसिंहपुरा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 159, 160, 161, 165, 166, 187, 206, 208, 209, 220, 397, 403 मी. 404 मी

कुल कीता 13 कुल रकबा 3.0100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम जयसिंहपुरा (प.ह.पालका)

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 159, 160, 161, 165, 166, 187, 206, 208, 209, 220, 397 403 मी. 404 मी.

कुल कीता 13 रकबा 3.0100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500 रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(सुभाष सुन्दर मिश्रा)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)